



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन'

निकट आई.एस.बी.टी., पो0अ00-माजरा, देहरादून

फोन-0135-2641119 फैक्स-2641314 Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

संख्या-0/प्रशा0/197/उविनिआ/2022-23/582

दिनांक: 08 अगस्त, 2022

कार्यालय ज्ञाप

"महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशोध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" की धारा-4(1) के अन्तर्गत एतद्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून में "आन्तरिक शिकायत समिति" का निम्नवत गठन किया जाता है:-

1. श्रीमती मीनाक्षी भारती, अधिशासी अभियन्ता, क्यू0ए0/क्यू0सी0, पिटकुल- पीठासीन अधिकारी
2. श्री शिवांकू भट्ट, सहायक निदेशक (विधि), उविनिआ- सदस्य
3. श्रीमती निधि गोयल, निजी सचिव, उविनिआ- सदस्य
4. श्री मोहन कठैत, LIG, 7A, एमडीडीए, कॉलोनी, आईएसबीटी, देहरादून- सदस्य

अधिनियम की धारा-4(3) के क्रम में उक्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल आदेश निर्गत तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक रहेगा।

उपरोक्त "आन्तरिक शिकायत समिति" लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों को "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशोध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्राविधानों के तहत स्वीकार कर उनका क्रियान्वयन एवं निस्तारण करेगी। समिति का यह भी दायित्व होगा कि प्राप्त शिकायत पर तैयार अपनी आख्या संस्तुति सहित जाँच पूरी होने के उपरान्त आयोग को उपलब्ध करायेगी, जिसकी प्रति सम्बन्धित पक्ष को भी देगी। साथ ही समिति कार्य की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर समुचित स्तर पर प्रेषित करेगी।

(नीरज सती)
सचिव

संख्या-01/प्रशा0/197/उविनिआ/2022-23/582 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वैयक्तिक सहायक मा0 कार्यवाहक अध्यक्ष/मा0 सदस्य (विधि)/ मा0 सदस्य (तकनीकी), उविनिआ को मा0 आयोग के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. समस्त निदेशक, उविनिआ, देहरादून।
3. निदेशक (मानव संसाधन), पिटकुल, देहरादून।
4. सम्बन्धित समिति के सदस्य।
5. आयोग कार्यालय में कार्यरत समस्त महिला कर्मचारी।
6. नोटिस बोर्ड।

(नीरज सती)
सचिव